न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः झंवर लाल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्याः:– 132 / 2025

उनवान

1. टीना कुम्हार पत्नि प्रकाश चन्द्र कुम्हार नि0 भवानी नगर तह0 व जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रार्थी

बनाम

1. श्री मीठू लाल पिता मांगीलाल चन्द्र कुम्हार नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. रामेश्वर लाल पिता मीठू लाल कुम्हार नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
3. नाथू पिता मांगू कुम्हार नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
4. माधू पिता मांगू कुम्हार नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
5. लाला पिता मांगू कुम्हार नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
6. नारायण पिता किशना कुम्हार कुम्हार नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
7. भेरू लाल पिता माधू प्रजापत कुम्हार नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
8. राधेश्याम पिता चुन्नी लाल विश्नोई नि0 मकान संख्या 00 कॉलोनी पुर तह0 व जिला भीलवाडा(राज0)
9. लाड पिता किशना कुम्हार नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 24.02.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 30.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अ.नि.क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. में खाता संख्या 642 खसरा संख्या 3094 रकाब 0.3920 है0, खसरा संख्या 3095 रकबा 0.2782 है0, खसरा संख्या 3096 रकबा 0.2655है0, खसरा संख्या 3097 रकबा 0.2655है0, खसरा संख्या 3098 रकबा 0.2150है0, कुल खसरे 5 कुल रकबा 1.4162 हैक्टेयर** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.09.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 04 व 6 से 9 विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 05 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 05 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया । प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 05 का नाम डिलीट / विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अ.नि.क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. में खाता संख्या 642 खसरा संख्या 3094 रकाब 0.3920 है0, खसरा संख्या 3095 रकबा 0.2782 है0, खसरा संख्या 3096 रकबा 0.2655है0, खसरा संख्या 3097 रकबा 0.2655है0, खसरा संख्या 3098 रकबा 0.2150है0, कुल खसरे 5 कुल रकबा 1.4162 हैक्टेयर** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(झंवर लाल)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा